रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 545] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 1984/कार्तिक 21, 1906
No. 545[NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 1984/KARTIKA 21, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1984

आदेश सं. 28/84

का. आ. 833(अ) :—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. 2/84 दिनांक 12 अप्रैल, 1984 के अंतर्गत प्रकाशित खुला सामान्य लाइसेंस सं. 1/84 की अनुसूची

के भाग 1 में प्रविष्टि सं. 45 क के विवरण को संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगा :—

"45-क हीटसैट/कोल्डसैट/हाट कार्बनीकृत मुद्रण स्याही—केवल मुद्रण उद्योग के लिए ।"

[मिसिल सं. आई पी सी/3/1/84]

श्रीइन्द्र त्रिपाठी, अपर मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th November, 1984

ORDER NO. 28|84

S.O. 833(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947) the Central Government hereby makes the following amendment :—

"In Part I of Schedule to Open General Licence No. 1|84, published under the Ministry of Commerce Order No. 2|84 dated the 12th April, 1984, the description of Entry No. 45A shall be amended to read as under :—

"45A. Heatset|coldset|hot carbonised printing ink--for printing industry only."

[File No. IPC|3|1|84]

S. I. TRIPATHI, Addl. Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984